बिहार सरकार

समाज सुधार
के क्षेत्र में नई पहल

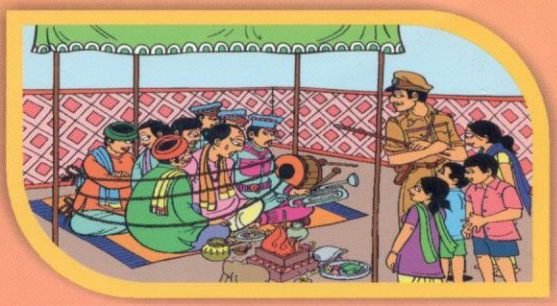

दहेज मुक्त बिहार
संकल्प हमारा

बाल-विवाह
मुक्त बिहार

सूचना एवं जन-संपर्क विभाग
बिहार सरकार

समाज सुधार के क्षेत्र में नई पहल

बिहार में पूर्ण मद्य निषेध

ग्रामीण क्षेत्रों में शराब का व्यापक दुष्प्रभाव एवं शहरी क्षेत्र में युवाओं में शराब का बढ़ता प्रचलन राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय था। शराब के दुष्प्रभावों के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष, 26 नवम्बर को मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाये जाने का संकल्प लिया गया। गाँवों को शराब मुक्त करने हेतु महिला समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की गई और वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 में महिला समूहों को पुरस्कृत भी किया गया।

राज्य में आपराधिक, विशेषकर महिला उत्पीड़न की घटनाओं की समीक्षा में यह प्रकाश में आया कि आपराधिक घटनाओं की वृद्धि में मद्यपान भी एक मुख्य कारक है। मदिरापान से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य एवं उनकी आर्थिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। इसी परिपेक्ष्य एवं 9 जुलाई, 2015 को महिलाओं की माँग पर की गई घोषणा के आलोक में नई उत्पाद नीति के तहत प्रथम चरण में पूरे बिहार में देशी शराब 1 अप्रैल, 2016 से बन्द कर दी गई और ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशी शराब को भी बंद करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के मद्य निषेध के निर्णय को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। शराब बंदी के पक्ष में प्रबल जन समर्थन एवं महिला समूहों का शहरी क्षेत्रों में विदेशी शराब की दुकान खोलने के विरुद्ध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने सम्यक विचारोपरांत 5 अप्रैल, 2016 से सम्पूर्ण राज्य में विदेशी शराब को भी प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया।

शराबबंदी के निर्णय को पूरी सफलता के साथ लागू करने के उद्देश्य से जहाँ एक ओर कानूनी प्रावधानों को वर्तमान सामाजिक परिवेश एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाया ताकि शराब एवं मादक द्रव्यों के दुरूपयोग को प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित किया जा सके, वही दूसरी ओर शराब के दुष्प्रभावों के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं लोकशिक्षण हेतु सामाजिक अभियान चलाया जा रहा है। शराबबंदी के पश्चात् नशे के आदी लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सभी जिलों में नशा विमुक्ति केन्द्र खोले गए हैं। इन केन्द्रों में प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्स एवं सलाहकार भी पदस्थापित किए गए है। शराब का उपभोग करने वाले एवं इसके आदी लोगों को इन केन्द्रों के द्वारा मुफ्त चिकित्सा सेवा, दवाएँ एवं परामर्श मुहैया कराया जा रहा है। शराब के निर्माण, बिक्री तथा सेवन से जुड़े परम्परागत समूहों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों का आजीविका संवर्द्धन, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना लागू कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है।

शराबबंदी एवं शराब से होने वाली बुराइयों के बारे में जागरुकता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ से ही एक सशक्त सामाजिक अभियान चलाया गया है। मद्य निषेध अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, नारे और पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया। सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों ने अपने अभिभावकों से शराब सेवन नहीं करने एवं दूसरों को भी शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित करने का संकल्प पत्र भरवाया। कुल 1 करोड़ 19 लाख संकल्प पत्र भरे गये हैं। 48 हजार से अधिक टोलों में ग्राम संवाद कार्यक्रम सम्पन्न हुआ, जिसमें 4 लाख 70 हजार जीविका समूह और 20 हजार ग्राम संगठन जुड़ें। 9 लाख स्थानों पर मद्य निषेध के नारे लिखे गये। कला–जत्था के कलाकारों द्वारा 25 हजार से अधिक स्थानों पर गीत, नाटक एवं सामूहिक चर्चा के माध्यम से मद्य निषेध के संदेश को लोगों तक पहुँचाया गया। सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में जीविका समूह की दीदीयों का सम्मेलन कर उनके अनुभवों को साझा किया गया और शराबबंदी के मुहिम को पूरी सजगता के साथ जारी रखने का संकल्प लिया गया। महिलाओं, बच्चों एवं युवाओं के द्वारा सरकार के इस पहल की सराहना की गई तथा इसे व्यापक जनसमर्थन मिला। राज्य में शराबबंदी की सफलता से उत्साहित होकर राज्य सरकार ने शराबबंदी की मुहिम का दायरा बढ़ाते हुए सम्पूर्ण राज्य को नशामुक्त बनाने

का निर्णय लिया गया। 21 जनवरी, 2017 को 4 करोड़ बिहारवासियों ने विराट मानव श्रृखंला बनाकर देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में शराबबंदी एवं नशामुक्ति के पक्ष में सशक्त संदेश दिया।

शराबबंदी लागू होने के पश्चात् कई संस्थानों द्वारा इसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन किया है। इन सर्वेक्षणों ने समाज में आ रहे बदलाव को दर्शाया है। शराबबंदी लागू होने के उपरान्त विभिन्न अपराधों में कमी आई है, दूध एवं दुग्ध उत्पादों के सेवन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय में भी वृद्धि हुई है। गाँव में शांति कायम हुई है। शराबबंदी के कारण महिलाओं से संबंधित मानसिक हिंसा, मौखिक हिंसा, शारीरिक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा में व्यापक कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया गये अध्ययन में पाया गया है कि सड़क दुर्घटना के मामलों, किडनी तथा लीवर से संबंधित बीमारियों, मानसिक रोगों एवं न्यूरोपैथी से संबंधित मामलों में कमी आई है।

राज्य के नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के प्रति सतत् प्रयत्नशील रहना राज्य सरकार का दायित्व है। इसी दायित्व की पूर्ति की कड़ी में राज्य में मद्य निषेध लागू किया गया है। राज्य के आमजनों, प्रबुद्ध व्यक्तियों, राजनितिक दलों के सुझाव, विधिवेत्ताओं का परामर्श, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा तथा मद्य निषेध के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर अधिनियम के विविध प्रावधानों को और स्पष्ट करने, प्रावधानों को लागू करने के क्रम में इसके दुरूपयोग को रोकने एवं इस अधिनियम के तहत प्रावधानित दण्ड को अपराध के समानुपातिक करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि निर्दोष व्यक्तियों को सजा नहीं हो और अपराधियों पर न्याय संगत दण्ड अधिरोपित हो सके।

मद्यनिषेध के लिए चलाये जा रहे कानूनी अभियान के आंकड़ों से पता चलता है कि शराब की बरामदगी पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। कानूनी कार्रवाईयों के बावजूद शराब के अवैद्य धंधेबाज सक्रिय है। अतः राज्य में मद्यनिषेध के कानूनी पहलुओं के कारगर क्रियान्वयन हेतु अपराध अनुसंधान विभाग में IG/ADG, मद्यनिषेध के साथ उनके सहयोग हेतु पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, 12 पुलिस उपाधीक्षक, 49 पुलिस निरीक्षक, 49 अवर निरीक्षक एवं सिपाही समेत कुल 225 अधिकारी व कर्मी पदस्थापित किये जा रहे हैं। IG/ADG, मद्य निषेध को आर्थिक अपराध इकाई अन्तर्गत काण्डों को छोड़कर अन्य काण्डों का अनुसंधान ग्रहण करने की स्वतंत्र शक्ति होगी। प्रधान सचिव, गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक, मद्य निषेध संबंधी दर्ज काण्डों का अनुसंधान ग्रहण करने के लिए IG/ADG, मद्य निषेध को आदेश दे सकेगें।

शराब के अवैध धंधेबाजों एवं कारोबारियों का प्रभावकारी कार्रवाई करने के लिए मद्य निषेध लोक आसूचना केन्द्र की स्थापना की गई है, जो 24 घंटे कार्यरत रहता है। इसके निःशुल्क दूरभाष नम्बर–**18003456268** एवं **15545** पर लोग अवैध शराब के धंधे के संबंध में सूचना दे सकते हैं जिसपर त्वरित कार्रवाई होती है और शिकायतकर्त्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है। साथ ही कार्रवाई के संबंध में उनकी संतुष्टि भी दर्ज की जाती है।

मद्य निषेध लागू होने के उपरान्त नागरिकों के स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव मादक पदार्थों का सेवन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हर दृष्टिकोण से मानव के लिए हानिकारक है। इसका सेवन प्राणघातक तथा सामाजिक पतन का कारण है। अतएव इस बुराई का विरोध समाज एवं सरकार का दायित्व है। वर्ष 2016 के अप्रैल महीने से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर राज्य में सामाजिक बदलाव की नींव रखी गई है। पूर्ण शराबबंदी से समाज सशक्त, स्वस्थ एवं संयमी हुआ है, जिसका अतुल्य प्रभाव बिहार की प्रगति पर पड़ा है। शराबबंदी के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा पारिवारिक हिंसा, घरेलू कलह एवं सामाजिक अपराध में कमी आई है। समाज में शराब पर होने वाले अपव्यय की राशि दैनिक बचत के रूप में प्रत्येक परिवार को प्राप्त हो रही है, जिसका सदुपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के

लिए हो रहा है। सभी के सहयोग से शराबबंदी एक सामाजिक अभियान का रूप ले चुका है।

बाल–विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान

समाज में प्रचलित और पारंपरिक रूप से चली आ रही कुरीतियों को नियंत्रित करने में सरकार की भूमिका अहम है। संविधान निर्माताओं ने लोकोन्मुखी विकास की अवधारणा को स्थापित किया है। सामाजिक असंतुलन को दूर कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है।

प्रारंभ से ही बिहार में राज्य सरकार ने न्याय के साथ विकास के सिद्धान्त का अनुसरण किया है, जिसमें राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रमुख अवयव है। राज्य में विकास की रणनीति समावेशी, न्यायोचित और सतत् होने के साथ–साथ आर्थिक प्रगति पर आधारित है। समाज में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए समान अवसर स्थापित करने की दिशा में लगातार कार्य किया गया है, परन्तु अभी भी समाज में महिलाओं को पारंपरिक रूप से समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा हैं और उन्हें कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का शिकार होना पड़ता है। बाल–विवाह तथा दहेज़ प्रथा ऐसी ही कुरीतियाँ हैं जो बच्चियों तथा महिलाओं को न सिर्फ समान अवसर प्रदान करने की दिशा में बाधक बन रहे हैं बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी प्रतिकूल ढ़ंग से प्रभावित कर रहे हैं।

बाल–विवाह और दहेज–प्रथा के विरूद्ध वर्तमान में विशिष्ट कानून लागू है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र की शादी को कानूनन अपराध है। कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन बाल विवाह को बढ़ावा देता है, तो वह सजा का हक़दार है। इसी प्रकार 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम', 1961 एवं समय–समय पर हुए इसके संशोधनों के अनुसार दहेज का लेन–देन भी कानूनी अपराध है और कानून में दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। पर इन प्रावधानों के प्रवृत्त होने के बाद भी दोनों कुरीतियाँ समाज में व्याप्त हैं और इसीलिए इनके विरूद्ध सभी के सहयोग से सामाजिक अभियान आवश्यक है।

बाल–विवाह की समस्या के लिए कोई एक कारण नही है, बल्कि अशिक्षा, पिछड़ापन, गरीबी, लैगिंक असमानता, लड़कियों को लेकर असुरक्षा की भावना सभी इसे बढ़ावा देते है। समाज में पारंपरिक रूढ़िवादिता और मनोवृत्ति इस प्रकार से रची–बसी है कि विशिष्ट कानून के बावजूद इस प्रकार के अधिकांश मामले न ही प्रतिवेदित होते हैं और न ही समाज में इनका विरोध होता है। इसे एक प्रकार से सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त है।

बाल–विवाह, लड़कियों के शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करता है, वे विवाह के बाद की परिस्थितियों के लिए तैयार नही होती हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता हैं। बाल–विवाह बालिकाओं के प्रति एक प्रकार का शोषण है जो उन्हें जीवन–भर के लिए उनके पति एवं ससुरालवालों की शारीरिक, लैंगिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाता है और उनके पूरे व्यक्तित्व को कुंठित कर देता है। बालिकायें इसे अपनी नियति मानने लगती हैं और अंततः यही मनोदशा उनके बच्चों में हस्तांतरित हो जाती है। इस प्रकार बाल–विवाह का यह कुचक्र टूट नही पाता है।

बाल–विवाह और इसके बाद कम उम्र में गर्भ–धारण लड़कियों की समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी कम उम्र के कारण वे परिवार के निर्णय में अपना पक्ष नही रख पाती हैं और गर्भ–धारण उनकी मजबूरी हो जाती है। परिणामस्वरूप ऐसी माताएँ अस्वस्थ और कम विकसित शिशु को जन्म देती है और आगे चलकर ये बच्चे बौनेपन (stunted growth) एवं मंदबुद्धि के शिकार हो जाते है।

समाज सुधार के क्षेत्र में नई पहल

दहेज–प्रथा भी एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जो कानूनन अपराध होने के बावजूद समाज में पूरी स्वीकार्यता के साथ व्याप्त है। यह प्रथा समय के साथ और व्यापक हुई है और समाज के सभी वर्गों विशेषकर गरीब वर्गों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रही है। वर पक्ष इसे लड़के पर बचपन से युवावस्था तक खर्च की गयी राशि की वसूली का माध्यम समझता है। कन्या पक्ष के लिए दहेज देना मज़बूरी हो जाती है और इस क्रम में वे कर्जदार हो जाते हैं। कई परिवारों में लड़के वाले लालच में आकर अधिक दहेज के लिए नवविवाहिता को तंग–तबाह करते हैं जो कई मामलों में आत्महत्या का कारण बनता है अन्यथा दहेज हत्या का मामला बनता है।

दहेज–प्रथा की वजह से समाज में लड़कियों को उनके जन्म से ही बोझ समझा जाता है और उनके प्रति प्रारम्भ से ही भेद–भाव पूर्ण आचरण किया जाता है। खान–पान से लेकर उनके शिक्षा तथा स्वास्थ्य तक में कमी की जाती है। उन्हें लड़कों की तुलना में बेहतर जीवनशैली नहीं मिल पाती।

उनका बचपन छिन जाता है और उन्हें शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। बालिकाओं को उम्र से पहले ही विवाह के बंधन में बांधकर बोझ कम करने की मानसिकता से हमारा समाज ग्रसित है। बेटियों के साथ दोहरा व्यवहार उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। किसी भी बालिका को उम्र से पहले विवाह के बंधन में बांधकर उन्हें अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित कर उनके सर्वांगीण विकास को बाधित करना, उनके मानवाधिकार का हनन है।

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे समाज को विकास के पथ पर अग्रसर नहीं होने देती और इसे अंदर–ही–अंदर खोखला करती हैं। बालिकाओं की शिक्षा का राज्य तथा देश की जनसंख्या के स्थिरीकरण से बिलकुल सीधा संबंध है। बेटियों का अगर बिना भेद–भाव के समान रूप से पालन–पोषण हो तो वे शिक्षित एवं आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने तथा परिवार में आर्थिक योगदान देंगी। वे परिवार की विपरीत परिस्थितियों में सहारा बनेंगी, अपने बच्चों की देख–भाल बेहतर तरीके से कर सकेंगी तथा उन्हें शिक्षित बनायेंगी।

अतः राज्य सरकार ने महसूस किया है कि महिला सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे प्रयास तभी सफल हो पाएंगे जब महिलाओं की राह में बाधा बन रही सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त किया जाये। इस कारण बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा की समस्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने इनके विरुद्ध अभियान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतु इस अभियान के अंतर्गत क्षमतावर्धन–सह–संवेदीकरण के साथ–साथ जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इन दोनों सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध लागू कानूनों की समीक्षा कर अपेक्षित संशोधन तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संरचनात्मक बदलाव की कार्रवाई की जा रही है।

समाज सुधार के क्षेत्र में नई पहल

बिहार में इस अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2017 को लगभग 2.42 करोड़ लोगों के बाल विवाह न करने एवं दहेज न लेने की शपथ के साथ हुआ। अभियान के प्रथम चरण में व्यापक जनजागरूकता को लक्षित कर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ यथा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन, दीवार लेखन, स्कूली बच्चों के लिए साईकिल रैली, प्रभातफेरी आदि का आयोजन किया गया है। उक्त वातावरण का चरमोत्कर्ष 21 जनवरी, 2018 को दिखा जब राज्य में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मुलन अभियान के पक्ष में 13 हजार किलोमीटर की अटूट मानव श्रृखंला बनाई गई। यह श्रृंखला स्वतःस्फूर्त थी, जिसे माता–पिता, भाइयों, बहनों एवं बेटियों ने खुद के लिए बनाया था।

प्रथम चरण में अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्गों के टोलों को केंद्रित कर कई कार्यक्रम यथाः "बाल विवाह एवं दहेज मिटायें खुशहाली का दीपक जलायें", संध्या चौपाल आदि आयोजित किये गये है तथा किशोर–किशोरी समूह का गठन किया गया है।

अभियान के दूसरे पहलू के अंतर्गत पंचायत स्तर से राज्यस्तर तक सभी संबंधित को मिलाकर टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। बाल संरक्षण पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी, मीडिया, पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का व्यापक संवेदीकरण किया गया है। बाल विवाह को रोकने हेतु समुचित निदेश निर्गत किये गये हैं तथा सभी जिला पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के माध्यम से इसका अनुश्रवण किया जा रहा है।

बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरूद्ध अभियान के प्रचार–प्रसार हेतु राज्य के सभी 534 प्रखण्ड में जागरूकता रथ चलाने के साथ ही कुल 16,932 स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन, 8,46,600 स्थानों पर दीवार लेखन एवं लगभग 5000 सेवा प्रदाताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरूओं का संवेदीकरण किया गया। इस अभियान के अन्तर्गत दीपावली के अवसर पर प्रत्येक जिला के 5 महादलित टोलों में 'बाल विवाह एवं दहेज मिटायें खुशहाली का दीपक जलाएं' नामक एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया। बाल दिवस के अवसर पर राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड के 2 विद्यालयों तथा प्रत्येक प्रखण्ड के 1 महादलित टोलों में क्रमशः साइकिल रैली एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया।

इस अभियान के माध्यम से राज्य में बाल विवाह को जड़ से समाप्त करने एवं दहेज के विरूद्ध जनमानस की मानसिकता में व्यापक बदलाव का लक्ष्य रखा गया है। समुदाय एवं सरकार का यह समेकित प्रयास सफल होगा।

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह

बिहार सरकार के लिए यह सौभाग्य का विषय था कि उसे गाँधी जी के चम्पारण सत्याग्रह के सौ वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह के सफल आयोजन का अवसर मिला। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उस समय की घटनाओं की स्मृतियों को पुनर्जीवित करते हुए गाँधीजी के विचारों एवं आदर्शों को जन–जन तक पहुँचाना रहा। गाँधी जी से वर्तमान पीढ़ी परिचित हैं परन्तु उनकी विचारधारा एवं उनके आदर्श से अनभिज्ञ है। आज की पीढ़ी को इससे अवगत कराना आवश्यक है।

पूरे राज्य में गाँधीजी के विचार, उनके कृत्य, उनके आदर्श एवं उनकी स्मृति से संबंधित कार्यक्रमों को लेकर हम आम लोगों के बीच गए। अनेक समारोह, सभा, यात्रा और गतिविधियाँ आयोजित की गयी। गाँधीजी के संदेश को जन–जन तक पहुँचाया गया। चम्पारण सत्याग्रह का दूरगामी लाभ यह हुआ कि पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण, नारी सशक्तीकरण, सामाजिक सौहार्द्र एवं साम्प्रदायिक सदभाव के विषयों पर न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि सार्थक कार्य भी प्रारंभ हुए ।

समाज सुधार के क्षेत्र में नई पहल

महात्मा गाँधी के पटना आगमन की स्मृति में पटना में दिनांक 10–11 अप्रैल, 2017 को दो दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श, गाँधीजी के औपनिवेशिक सत्ता के विरूद्ध मुजफ्फरपुर में चार दिनों तक रहकर अधिकारियों, नेताओं तथा लोगों से मिलने और चम्पारण की समस्याओं से अवगत होने का स्मरण करने हेतु 11 अप्रैल, 2017 को मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम का आयोजन तथा राज्य सरकार द्वारा देश के लिए त्याग, तपस्या और सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुये 17 अप्रैल, 2017 को अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। मोतिहारी के चन्द्रहिया गाँव में उन्हें चम्पारण छोड़ने का हुक्म देने तथा उस आदेश का उल्लंघन करने के लिए उनके विरूद्ध मुकदमा दायर करने, उनके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने सरीखी स्मृतियों को पुनर्जीवित करने के लिए 18 अप्रैल को चन्द्रहिया से मोतिहारी तक लगभग 7 किलोमीटर की गाँधी स्मृति यात्रा आयोजित की गयी तथा मोतिहारी के गाँधी मैदान में नाटक का मंचन एवं जनसभा का आयोजन हुआ। गाँधीजी को चम्पारण लाने वाले श्री राजकुमार शुक्ल की बाड़ी (घर) को आग लगाकर लूट–पाट की गई जिसे देखने 27 अप्रैल, 1917 को महात्मा गाँधी इस गाँव में गए थे। इस घटना के स्मरण में 27 अप्रैल, 2018 को मुरली भरहवा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

गाँधीजी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनके जीवन एवं विचारों से संबंधित रोचक कहानियों का संग्रह तैयार कराया गया तथा दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को **''गाँधी कथा–वाचन''** तथा गाँधी जी के आदर्श एवं विचारों को घर–घर तक पहुँचाने के लिए **''बापू आपके द्वार''** कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। गाँधी कथा वाचन कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार द्वारा स्कूली छात्र–छात्राओं के लिए गाँधी जी पर दो पुस्तकें तैयार करायी गयी हैं। इन पुस्तकों में सामान्य भाषा में रोचक प्रसंगों एवं कहानियों को लिखा गया है ताकि इसे पढ़कर बच्चे महात्मा गांधी जी के जीवन एवं उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सके। यह पुस्तकें हैं ''बापू की चिट्ठी'' कक्षा 3 से 8 के लिए तथा ''एक था मोहन'' कक्षा 9 से 12 के लिए। विद्यालयों में प्रत्येक दिन सुबह की सभा में इन पुस्तकों का पाठ कराया जा रहा है।

चम्पारण के शैक्षणिक एवं सामाजिक वातावरण में बदलाव के लिए भितिहरवा विद्यालय में श्रीमती कस्तूरबा गाँधी ने कई मास तक रहकर अध्यापन कार्य किया था। इस विद्यालय में शिक्षण कार्य 20 नवम्बर, 1917 को प्रारम्भ हुआ। इन स्मृतियों को पुनर्जीवित करते हुए 20 नवम्बर, 2018 को भितिहरवा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाँधीजी के प्रयासों से चम्पारण एग्रेरियन एक्ट 04 मार्च, 1917 को लागू हुआ। इस एक्ट के द्वारा प्रचलित तिनकठिया प्रणाली समाप्त हुई, बढ़ाई गई मालगुजारी (शरहबेशी) को कम कर दिया गया। किसान नील की खेती करने के बंधन से मुक्त हुए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करते हुए 4 मार्च, 2018 को विधान परिषद सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 22 मार्च, 2018 को बिहार दिवस के अवसर पर **चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समापन समारोह** का आयोजन किया गया।

इस शताब्दी समारोह से चम्पारण सत्याग्रह, इसमें गाँधीजी की भूमिका तथा उसके प्रभाव के प्रति लोगों की जानकारी बढ़ी है। बच्चों में भी गाँधीजी को जानने की लालसा जगी। इस माहौल को कायम रखने तथा इस समारोह को यादगार बनाने के उद्देश्य से पटना में बहुद्देश्यीय गाँधी टावर का निर्माण के साथ–साथ गाँधी जी से जुड़े विभिन्न स्थलों का विकास एवं मूर्ति की स्थापना कराई जा रही है। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर सभी छात्र–छात्राओं को बापू के जीवन एवं उनके आदर्शों को जानने, समझने एवं अनुकरण करने का अवसर मिल सकेगा। महात्मा गाँधी की जयंती के 150वें वर्ष को भी हम हर्षोउल्लास से मनायेंगें और उनके आदर्श एवं विचारों को जन–जन तक पहुँचाने की मुहिम को आगे बढ़ायेंगें।

समाज सुधार के क्षेत्र में नई पहल

बैण्ड बाजा बराती, पंडित और सराती
सब होंगे बाल विवाह कानून के दोषी
सब जायेंगे जेल में और लगेगा जुर्माना भी

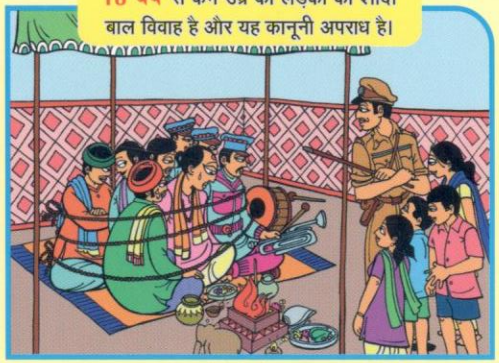

इसके लिए 6 माह का
कारावास एवं 5 हजार रूपये
जुर्माना अथवा
दोनों से दण्डित किया
जा सकता है।

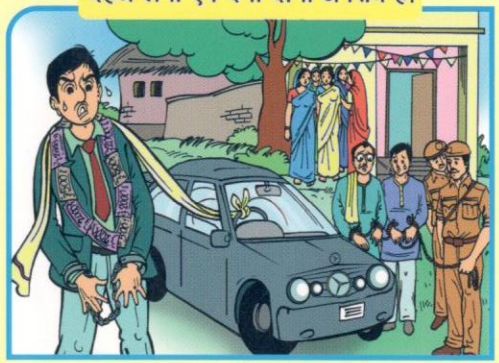

आईये, हम सब मिलकर बिहार को बाल विवाह और दहेज मुक्त बनायें

किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहयोग के लिए
अपने जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, स्थानीय थाना, मुखिया/सरपंच/पार्षद, महिला हेल्पलाईन, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा टॉल फ्री नंबर 181 पर संपर्क करें।

जनहित में जारीः **समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार**

Design & Printed by Patna Offset Press, Patna # 9693202981

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612–2217048 पर करें।